(160)

मध्य प्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक एफ 3-15/89/9/49 भोपाल, दिनांक 19 जून, 1989

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश.

विषयः- प्रकरणों के निपटारे हेतु सेवा शर्तों नियमों में समय-सीमा निर्धारित किया जाना ।

...

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि बहुत से प्रकरणों के निपटारे में शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बहुत अधिक विलम्ब किया जाता है, जिसको किसी प्रकार से औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता । अतः यह सुझाव दिया गया है कि विभागों के सेवानियमों में प्रकरणों के निपटारे के संबंध में समय-सीमा निर्धारित की जाए । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) 1965 के नियम 3 में यहप्रावधान है कि प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही कर्तव्यपरायण रहेगा और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय हो । अतः यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा किसी प्रकरण में अत्याधिक विलंब किया जाता है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।

2/ विभिन्न विभागों में कई प्रकार के प्रकरण होते है । इनमें से कुछ प्रकरणों में अधिनियम अथवा नियमों के अन्तर्गत वैधानिक (स्टेट्यूटरी) समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है जैसा कि अधिसूचनाओं के प्रदान करने आदि के संबंध में । अतः आपसे निवेदन है कि आप कृपया अपने विभाग में प्रचलित अधिनियमों का परीक्षण करें और उपयुक्त पाये जाने पर उनमें विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्रों के निपटारे के बारे में समय-सीमा निर्धारित करें ।

...2/

3/ इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के प्रकरण जो किसी अधिनियम या नियम के अन्तर्गत नहीं आते हो उनके संबंध में भी विचार करें और ऐसे आवेदन पत्र/विषयों के संबंध में जो भी आप उपयुक्त समझे, समय-सीमा निर्धारित करें । कृपया सुनिश्चित करें कि इस प्रकार निर्धारित की गई समय-सीमाओं का कड़ाई के साथ पालन हो ।

हस्ता/-

(आर. सी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

पृ. क्र. एफ 3-15/89/9/49 भोपाल, दिनांक 19 जून, 1989

प्रतिलिपि:-

सचिव, लोक आयुक्त, कार्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित ।

हस्ता/-

(आर. सी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

...

/शेखर/